

हुकूम या कार्यवाही मध्य इनिशियलस का जग

नम्बर व तारीख
अवकाश की हुकूम
हुकूम की तारीख
में जारी हुए

10/01/22 फ़ावली पैसा हुकी। वकील वापी
अधिकृत। तहसीलदार भीलवाड़ा के विभाजन
प्रमाण प्राप्त नहीं किया। प्रमाण प्राप्त
होने पर फ़ावली दिनांक 31/03/2022 को
पैसा हो।

[Signature]

फ़ावली पैसा हुकी समयवत

पैदागीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त
वकालत में है। फ़ावली सार्विक आदेश
दिनांक 27/9/22 को पैसा हो।

[Signature]
आदेश से रीटर्

फ़ावली पैसा हुकी समयवत

पैदागीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त
वकालत में है। फ़ावली सार्विक आदेश
दिनांक 10/11/22 को पैसा हो।

[Signature]
आदेश से रीटर्

10/11/22 फ़ावली पैसा हुकी। वकील वापीगण
अधिकृत। प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित
नहीं। तहसीलदार भीलवाड़ा के प्राप्त विभाजन
प्रमाण पर वकील वापीगण भी कुछ
पुती गयी। यह कि पौरुष वकील
वापीगण द्वारा तहसीलदार भीलवाड़ा के प्राप्त
विभाजन प्रमाण स्विकारने किसे जाने में कोई
बाधा नहीं है।

मैंने फ़ावली का जवाब देकर
कि फ़ावली वकील वापीगण की कुछ पर
मनव कि फ़ावली विभाजन प्रमाण अनुसार
वापीगण का वापस स्विकार कि फ़ावली
आदेश डिफ़ी यह वकील वापीगण कि फ़ावली

नसीब-नसीब।
प्राप्त विभाजन प्रमाण
स्वीकार है।

[Signature]
10/11/2022
(21/11/2022)
अधिकृत अधिकारी

प्रतिवादी संशोधन 1 के डच काशमकी जारी की जाती है कि डाक लांगोनेर पटना (एक) लांगोनेर भू. का. सि. लांगोनेर तहसील व जिला नीलवाड़ में स्थित विनाशित काशीनाथ विनायक मठ का वस्तीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के नाथ दर्ज किये जाने के कारण पुनः जाते हैं, इसी आधार पर वस्तीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के नाथ काजम रेकार्ड में दर्ज की जावे।

1. प्रह्लाद 1/2, सुरेश 1/2, पुत्र देवीलाल खरीक लाठ देह खातेदार निम्न भूमि एक व हिस्सा मठ काजम रेकार्ड में दर्ज की जावे।

आशुजी नम्बर रकबा

685

0.1707 हेक्टेयर

किता - 1

रकबा

0.1707 हेक्टेयर

2. रत्नलाल 1/3, साधनाराधन 1/3, फिशन 1/3, पुत्र लोहनलाल खरीक लाठ देह खातेदार निम्न भूमि एक व हिस्सा मठ काजम रेकार्ड में दर्ज की जावे।

आशुजी नम्बर

रकबा

685/1

0.1707 हेक्टेयर

किता - 1

रकबा

0.1707 हेक्टेयर

3. रामलाल 1/3, रत्नलाल 1/3, पुत्र कनीराम, मंजू 1/3 पुत्री कनीराम खरीक लाठ देह खातेदार निम्न भूमि एक व हिस्सा मठ काजम रेकार्ड में दर्ज की जावे।

आशुजी नम्बर

रकबा

683

0.1770 हेक्टेयर

किता - 1

रकबा

0.1770 हेक्टेयर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिहासका जज	जखर व तारीख अहमदाबाद की हुक्म हुक्म की तारीख में जारी हुए
----------------	-----------------------------------	--

4. दिनेश 11/4, परमेश्वर 11/4, शिवलाल 11/4,
पुत्र शंकरलाल, सीमी 11/4 पति शफलाल
खरीक लाठ पेह खातेपार निम्न भूमि हक व
हिस्सा कानून राजस्व रेकार्ड में दर्ज की
जावे।

आराजी नम्बर

इकला

683/1

0.1770 हेक्टेयर

किता - 1

इकला

0.1770 हेक्टेयर

5. भंवरलाल पुत्र पांगीया खरीक लाठ
पेह खातेपार निम्न भूमि हक व हिस्सा
कानून राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावे।

आराजी नम्बर

इकला

683/2

0.1771 हेक्टेयर

किता - 1

इकला

0.1771 हेक्टेयर

6. सत्यनारायण पुत्र पांगीया खरीक लाठ
पेह खातेपार निम्न भूमि हक व
हिस्सा कानून राजस्व रेकार्ड में दर्ज
की जावे।

आराजी नम्बर

इकला

668

0.2482 हेक्टेयर

किता - 1

इकला

0.2482 हेक्टेयर

7. च्यापू 11/4, पति जवाना, दिनेश 11/24,
मुजेश 11/24, कांतु 11/24 पुत्र शंकरभाऊ,
शीला 11/24, सीता 11/24 पुत्रीया शंकरभाऊ
कंक बाई 11/48, चंचला बाई 11/48,
पतिभा शंकरभाऊ जीतु 11/20, निर्मल
11/20, पुत्र मेवालाल 11/20 पुनिता 11/20
माना उर्फ अनिता पुत्रीया मेवालाल, देउबाई

11/20 पति मेवालाल, लाडू 11/4 पुत्र जवाना

खरीक लाठ पेह खातेपार निम्न भूमि हक व
हिस्सा कानून राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावे।

आ.न.

इकला

673

0.1644

किता - 1

इकला

0.1644 हेक्टेयर

मंजू व मन्य

विभाजन प्रमाण व नक्शाद्वारा मान्य डिफ्री
का पार्ति रहेगा। खर्च फिर केन अपना अपना
करे। तदनुसार आगे डिफ्री जारी हो
जावगी केने शुभार की जगह दाखिल
दस्ता हो

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा